न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 21/2012, जिला दौसा

1. चौथ्या पुत्र मूल्या, जाति मीणा, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम भामूवास, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र प्रभूदयाल,
2. श्रीमती मालती पत्नि कैलाश,
3. मुकेश पुत्र कैलाश,
4. पंकज पुत्र कैलाश,
5. रोहित पुत्र कैलाश,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासीगण–ग्राम पुरोहित पाडा, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट, जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट, जिला दौसा दिनांक 04.06.2012 प्रकरण संख्या 22/2011 बउनवानी प्रकरण राधेश्याम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 5 ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक –07.09.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 04.06.2012 के खिलाफ प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. के साथ प्रस्तुत हुई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम भामूवास पटवार हल्का लालपुरा तहसील लालसोट में कृषि भूमि आ.ख.नं. 60, 61, 76 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा भूमि हरिशंकर पुत्र विश्वेश्वर कौम जैमन पुरोहित लालसोट की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि पर हरिशंकर पुत्र विश्वेश्वर कौम जैमन पुरोहित लालसोट उक्त हरिशंकर का देहान्त दिनांक 15.2.2005 हो गया जो नाऔलाद फौत हो गये थे। हरिशंकर के सगे भाई प्रभूलाल के दो पुत्र राधेश्याम व कैलाश थे। कैलाश का निधन हो गया। जिसके वारिस रेस्पो. सं. 2 लगा. 5 हैं। इस प्रकार से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उक्त हरिशंकर के वास्तविक उत्तराधिकारी जिनके वारिसान का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा भरने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण अस्वीकार कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण पर अंकित सजरे को सही होना अंकित किया। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 140 को खारिज कर दिया। उक्त नामांतरकरण संख्या 140 दिनांक 08.11.2004 के खिलाफ राधेश्याम वगै. रेस्पोडेन्ट द्वारा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष दिनांक 16.11.2011 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय प्रा. पत्र 96 के साथ प्रस्तुत की थी, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2012 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लालपुरा तहसील लालसोट द्वारा अस्वीकार नामान्तकरण सं. 140 दिनांक 8.11.2010 बाबत ख.नं. 60,61, 76 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा के संबंध में खारिज किया जाकर तथा तहसीलदार लालसोट को मृतक के वारिसान की पुनः जॉच कर विधिवत नामान्तकरण खोले जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 04.06.2012 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट चौथ्या पुत्र मूल्या द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 04.06.2012 निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। रेस्पोडेन्ट नं. 6 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता उप.। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 60, 61, 76 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम भामूवास, पटवार हल्का लालपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित है। हरीशंकर पुत्र विश्वेश्वर लाऔलाद फौत हो गया, उसके जीवित रहने के दौरान ही अपीलान्ट उक्त आराजीयात खसरा नम्बर पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है, लगान आदि जमा करा रहा है। उक्त आराजीयात खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने एक दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी के कर रखा है, जिसमे माननीय न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है एवं उक्त दावा माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हरीशंकर की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 140 ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे ग्राम पंचायत ने अस्वीकार कर दिया, जिसके रेस्पोडेन्ट ने एक अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये ही प्रस्तुत की, जिस पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था और कथन किया कि अपीलान्ट उक्त आराजी खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है, जिसके समर्थन में अपीलान्ट ने कब्जे बाबत खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की, लेकिन उक्त दस्तावेजों पर किसी प्रकार का गौर न करते हुये उक्त निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्तीनय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आदेश प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर किसी प्रकार का कोई पृथक से ऑर्डर नहीं किया गया, बल्कि मुख्य ऑर्डर में ही उक्त पत्र के सम्बन्ध में उल्लेख कर दिया गया। जबकि प्रार्थना पत्र को पहले निर्णित करना चाहिये, उसके बाद ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये। माननीय न्यायालय ने उक्त तथ्य की अवेहलना करते हुए भी निर्णित पारित कर दिया, जो निरस्तीनय है। अपीलान्ट उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बगैर कब्जे की जांच किये ही अपीलान्ट को हितबद्ध पक्षकार नहीं मानने में भूल की है। अपीलान्ट की बगैर सुनवाई के ही मनमाना निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्तनीय है और अपील स्वीकार करने में अहम कानूनी गलती की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 04.06.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) आर.आर.डी. 1998 पेज 368–369,

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 04.06.2012 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लालपुरा तहसील लालसोट द्वारा अस्वीकार नामान्तकरण सं. 140 दिनांक 8.11.2010 बाबत ख.नं. 60,61, 76 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा के संबंध में खारिज किया जाकर तथा तहसीलदार लालसोट को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वह मृतक के वारिसान की पुनः जॉच कर विधिवत नामान्तकरण खोले जाने के आदेश पारित करें, जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के हरिशंकर पुत्र विश्वेश्वर कौम नाऔलाद फौत हो जाने पर हरिशंकर के सगे भाई प्रभूलाल के दो पुत्र राधेश्याम व कैलाश थे। कैलाश का निधन हो जाने पर उसके वारिसान का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार हरिशंकर के वास्तविक उत्तराधिकारी जिनके वारिसान का नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा भरने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण अस्वीकार कर दिया गया। जिस पर अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के न्यायालय में की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने अपने आदेश दिनांक 04.06.2012 द्वारा प्रश्नगत नामा0 सं. 140 वाके भामवास पटवार हल्का लालपुरा दिनांक 8.11.2010 बाबत ख.नं. 60, 61, 76 कुल रकबा 20 बीधा 8 बिस्वा के संबंध में खारिज किया जाकर विधिक वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर दिये तस्दीक किया जाना मानते हुये तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में मृतक के वारिसान की पुनः जॉच कर विधिवत नामान्तकरण खोले जाने के आदेश पारित करें। हमारा विनम्र मत है कि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसका नामांतरकरण विरासत के आधार पर ही खोला जाना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के तथा–कथित कब्जे के आधार पर विरासत का नामांतरकरण रद्द नहीं किया जा सकता। नामान्तकरण में चौथ्या पुत्र मूल्या जो कि विवादित भूमि में कोई विधिक वारिसान नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के आदेश दिनांक 04.06.2012 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। जहॉ तक अपीलार्थी के कथित कब्जे का कथन है तो उसके पास एक कानूनी अधिकार एवं विकल्प मौजूद है कि वह उनके अधिकारों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर सकता है तथा वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हम विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 04.06.2012 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है किः अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner